मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर

सूक्ष्म निविदा सूचना

विश्वविद्यालय को अपने छात्र-छात्राओं के आवागमन हेतु अनुबन्ध के आधार पर 02 बसों की आवश्यकता है।

उक्त हेतु नियम व शर्ते संलग्न है, इच्छुक एजेन्सी/फर्म अपनी निविदा दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 के सांय 05:00 बजे तक कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कार्यालय मे प्रेषित अथवा उपलब्ध करा सकते है।

कुलसचिव

नियम एवं शर्ते

01. बस के अनुबन्ध की अवधि 11 माह तक होगी। कार्य के दृष्टिगत यह अनुबन्ध पुनः बढ़ाया जा सकता है।

02. बस का पंजीकरण होना चाहिए।

03. अनुबंधित बस को पंजीयन करवाने का आवश्यक व्यय स्टाम्प शुल्क व अन्य सभी प्रकार के खर्चे द्वितीय पक्ष को वहन करना होगा।

04. बस का वाहन बीमा होना चाहिए। यदि अनुबन्ध अवधि में बीमा समाप्त हो जाता है तो पुनः बीमा करवाने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी तथा इसके लिए प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार की धनराशि देय नहीं होगी।

05. वाहन का फिटनेस स्कूल वाहन की कैटेगरी का होना चाहिए। यदि अनुबन्ध अवधि में फिटनेस समाप्त हो जाता है तो पुनः फिटनसे करवाने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी तथा इसके लिए प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार की धनराशि देय नहीं होगी।

06. बस चालक द्वितीय पक्ष का कर्मचारी रहेगा तथा माना जायेगा। वह चालक किसी भी अवस्था में प्रथम पक्ष के कर्मचारी की श्रेणी में नही माना जायेगा। उसका व्यय एवं सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष को ही निर्वहन करना पड़ेगा।

07. बस चालक का लाईसेन्स उचित होना चाहिए।

08. द्वितीय पक्ष बस को निर्धारित समय सारिणी तथा तत्सम्बन्धी निर्गत आदेशानुसार निर्धारित समय से आधा घण्टा पूर्व संचालन हेतु निश्चित स्थान पर उपलब्ध कराने के लिये बाध्य होगा।

09. संचालन के सम्बन्ध में उपयोग आने वाली समाग्री जैसे :- डीजल, तेल (पी0ओ0एल0) आदि द्वितीय पक्ष द्वारा ही उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में होने वाले किसी व्यय का दायित्व प्रथम पक्ष का नही होगा।

10. बस की मरम्मत तथा विधिक व्यय जो सुरक्षा सम्बन्धी दायित्वों को निर्वहन द्वितीय पक्ष द्वारा ही वहन किये जायेंगे।

11. बस का चालक बस संचालन सजगता से करेगा। प्रत्येक निर्धारित स्थान पर छात्र/छात्राओं को उतारने/चढाने हेतु बस को रोकेगा।

12. वाहन की साफ-सफाई व यात्री सीटों को उचित हालत में रखने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

13. टूट-फूट या आकस्मिक दुर्घटना की दशा में कोई अन्य बस संचालन के लिये द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराना होगा।

14. चालक की किसी त्रुटि असावधानी दुर्घटना या अन्य कार्यों का पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रतिकार या अन्य देय धनराशि के भुगतान का दायित्व बस स्वामी या अधिनियमों के अंतर्गत बीमा कम्पनी का होगा।

15. द्वितीय पक्ष अपनी अनुबंधित बस के स्वामित्व का हस्तान्तरण यदि किसी अन्य व्यक्ति को करना चाहता है तो उसे प्रथम पक्ष की पूर्वानुमति लेनी होगी।

16. द्वितीय पक्ष की बस यदि किसी अनियमितता के मामले में पकड़ी जाती है तो अनियमितता से सम्बन्धित सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। ऐसी दशा में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध बिना द्वितीय पक्ष को नोटिस दिये तत्काल निरस्त कर दे।

Abhijit Mishra

17. विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र/छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस के संचालन सम्बन्धी समय सारिणी में परिवर्तन कर सकेगा तथा इस सम्बन्ध में ऐसे अधिकारियों द्वारा जारी किये गये सभी नियमों/आदेशों का पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा।

18. अनुबंधित बस चालक यदि किसी भी कानून का उलंघन करता है तथा इस अनुबंधन या प्रथम पक्ष द्वारा पारित किसी भी आदेश का अवहेलना करता है तो यह अनुबंध बगैर किसी नोटिस के प्रथम पक्ष द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जा सकता है।

19. द्वितीय पक्ष एक कन्डक्टर भी रखेगा जो छात्र/छात्राओं को उतारने/चढाने में सहयोग करेगा।

20. बस चालक एवं कन्डक्टर का छात्र/छात्राओं के प्रति व्यवहार उचित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की शिकायत होने पर द्वितीय पक्ष को उचित कार्यवाही करनी पड़ेगी अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

21. चालक एवं कन्डक्टर छात्र/छात्राओं से किसी भी प्रकार के किराया की मांग नही करेगें।

22. अनुबन्ध अवधि में बस चालक केवल विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं को ही ले आयेगें एवं ले जायेगें।

23. द्वितीय पक्ष बस चालक एवं कन्डक्टर का पहचान पत्र, लाइसेन्स एवं मोबाईल नम्बर प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगें।

24. द्वितीय पक्ष बस चालक एवं कन्डक्टर के परिवर्तन की सूचना तुरन्त विश्वविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध करायेगें।

25. द्वितीय पक्ष को बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु रू0 35,000.00 (रू0 पैंतीस हजार मात्र) फिक्स एवं टेण्डर द्वारा प्राप्त न्यूनतम दर से महीने में चलाये गये कुल किलोमीटर का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा।

26. द्वितीय पक्ष की फर्म जी0एस0टी0 में रजिस्टर्ड होना चाहिए।

27. किराये के लिए किलोमीटर की गणना विश्वविद्यालय परिसर के सापेक्ष की जायेगी।

28. वाहनों का पंजीकरण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा होना चाहिए अर्थात् बसों का नम्बर यू0पी0 53 से शुरू होना चाहिए।

Abhijit Mishra F.C.